ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 77

ग्रामीण विकास विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		10220.00	19.41	10239.41	15126.00	19.13	15145.13	10260.00	19.28	10279.28
पूंजी		*50.00*	*...*	*50.00*	*50.00*	*...*	*50.00*	*10.00*	*...*	*10.00*
जोड़		**10270.00**	**19.41**	**10289.41**	**15176.00**	**19.13**	**15195.13**	**10270.00**	**19.28**	**10289.28**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	10.14	10.14	...	10.03	10.03	...	10.16	10.16
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
2. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2501	656.00	...	656.00	656.00	...	656.00	720.00	...	720.00
जोड़ - ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		**656.00**	**...**	**656.00**	**656.00**	**...**	**656.00**	**720.00**	**...**	**720.00**
ग्रामीण रोजगार										
3. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना										
(?) प्रथम चरण-जिला और ब्लाक पंचायतें										
(क) नकद धनराशि	2505	1687.50	...	1687.50	1687.50	...	1687.50	1856.25	...	1856.25
(ख) खाद्यान्न सामग्री	2505	310.50	...	310.50	3183.50	...	3183.50	387.50	...	387.50
	जोड़	*1998.00*	*...*	*1998.00*	*4871.00*	*...*	*4871.00*	*2243.75*	*...*	*2243.75*
(??) द्वितीय चरण-ग्राम पंचायतें										
(क) नकद धनराशि	2505	1687.50	...	1687.50	1687.50	...	1687.50	1856.25	...	1856.25
(ख) खाद्यान्न सामग्री	2505	310.50	...	310.50	2083.50	...	2083.50	387.50	...	387.50
	जोड़	*1998.00*	*...*	*1998.00*	*3771.00*	*...*	*3771.00*	*2243.75*	*...*	*2243.75*
जोड़ - संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना		**3996.00**	**...**	**3996.00**	**8642.00**	**...**	**8642.00**	**4487.50**	**...**	**4487.50**
4. काम के बदले अनाज	2505	600.00	...	600.00	860.00	...	860.00	...	...	...
जोड़-ग्रामीण रोजगार		**4596.00**	**...**	**4596.00**	**9502.00**	**...**	**9502.00**	**4487.50**	**...**	**4487.50**
आवास										
5. ग्रामीण आवास	2216	1502.50	...	1502.50	1502.50	...	1502.50	1700.00	...	1700.00
	4216	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	10.00	...	10.00
जोड़ - ग्रामीण आवास		**1552.50**	**...**	**1552.50**	**1552.50**	**...**	**1552.50**	**1710.00**	**...**	**1710.00**
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम										
6. डीआरडीए प्रशासन	2515	198.00	...	198.00	198.00	...	198.00	198.00	...	198.00
7. प्रशिक्षण	2515	21.10	7.75	28.85	21.10	7.55	28.65	22.70	7.62	30.32
	3601	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	15.30	...	15.30
	जोड़	*21.60*	*7.75*	*29.35*	*21.60*	*7.55*	*29.15*	*38.00*	*7.62*	*45.62*
8. ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम	2515	48.90	1.52	50.42	48.90	1.55	50.45	77.00	1.50	78.50
	जोड़	*48.90*	*1.52*	*50.42*	*48.90*	*1.55*	*50.45*	*77.00*	*1.50*	*78.50*
जोड़ - ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम		**268.50**	**9.27**	**277.77**	**268.50**	**9.10**	**277.60**	**313.00**	**9.12**	**322.12**
सड़कें और पुल										
9. केन्द्रीय सड़क निधि-अन्तरण										
को	3054	2500.00	...	2500.00	2500.00	...	2500.00	2325.00	...	2325.00
से	3054	-2500.00	...	-2500.00	-2500.00	...	-2500.00	-2325.00	...	-2325.00
निवल		...	...	...	...	...	...	...	...	...
10. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	3054	2230.00	...	2230.00	2230.00	...	2230.00	2090.00	...	2090.00
	जोड़	*2230.00*	*...*	*2230.00*	*2230.00*	*...*	*2230.00*	*2090.00*	*...*	*2090.00*
11. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	967.00	...	967.00	967.00	...	967.00	949.50	...	949.50
	जोड़	*967.00*	*...*	*967.00*	*967.00*	*...*	*967.00*	*949.50*	*...*	*949.50*
कुल जोड़		***10270.00***	***19.41***	***10289.41***	***15176.00***	***19.13***	***15195.13***	***10270.00***	***19.28***	***10289.28***

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2003-2004 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. आवास और शहरी विकास निगम	22216	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	10.00	...	10.00
जोड़	**22216**	**50.00**	**...**	**50.00**	**50.00**	**...**	**50.00**	**10.00**	**...**	**10.00**
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
केन्द्रीय योजनाः										
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	656.00	...	656.00	656.00	...	656.00	720.00	...	720.00
2. ग्रामीण रोजगार	12505	4596.00	...	4596.00	9502.00	...	9502.00	4487.50	...	4487.50
3. आवास	22216	1552.50	...	1552.50	1552.50	...	1552.50	1710.00	...	1710.00
4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	268.50	...	268.50	268.50	...	268.50	313.00	...	313.00
5. सड़कें और पुल	13054	2230.00	...	2230.00	2230.00	...	2230.00	2090.00	...	2090.00
6. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	967.00	...	967.00	967.00	...	967.00	949.50	...	949.50
जोड़		**10270.00**	**...**	**10270.00**	**15176.00**	**...**	**15176.00**	**10270.00**	**...**	**10270.00**

1. यह प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय पर व्यय के लिए है।

2. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) जो 1.4.1999 से लागू की गई थी, को एक संपूर्ण कार्यक्रम के रूप में बनाया गया है जिसके अंतर्गत स्व-सहायता समूहों में ग्रामीण निर्धनों के संगठन जैसे स्व-रोजगार के सभी पहलू और उनका क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, क्रिया-कलापों वाले समूहों की योजना, आधार संरचना विकास, बैंक ऋण और सब्सिडी के द्वारा वित्तीय सहायता और विपणन सहायता आदि शामिल है। विगत अनुभव ने यह प्रदर्शित किया है कि यदि प्रयत्न व्यक्तिगत अभिमुखी के स्थान पर समूह आधारित हो तो सफलता की दर अधिक होती है। अतः यह कार्यक्रम स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने पर जोर देता है। यह चुने गये महत्वपूर्ण कार्य-कलापों में छोटे उद्यमों के विकास में सामूहिक प्रयासों पर जोर देता है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को कार्यक्रम के कार्यान्वयन में घनिष्ठ रूप से शामिल और सहयोजित किया जाता है और इसके लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण क्रिया-कलापों हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है और स्व-रोजगारियों का चुनाव किया जाता है और परियोजना के बाद की मानीटरिंग आदि की जाती है। केन्द्र और राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में निधियों की साझेदारी की जाती है। इस योजना के लक्षित वर्ग में गरीबी की रेखा से नीचे के गरीब ग्रामीण परिवारों को शामिल किया गया है। लक्षित वर्ग के अंतर्गत मार्गनिर्देशों में योजना हेतु यह प्रावधान किया गया है और इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 50%, महिलाओं का 40% और कमजोर लोगों का 3% होगा।

3. रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) और जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) की चालू स्कीमों को एक में मिलाकर 25 सितम्बर, 2001 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) नामक स्कीम शुरु की गई है। इस नये कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त वेतन रोजगार प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा भी, निरंतर चल रही स्कीम वाले समुदाय का सृजन, सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन और इन क्षेत्रों में आधार सुविधाओं का विकास करना है। इस उद्देश्य के लिए एस.जी.आर.वाई. में कामगारों के लिए प्रति दिवस 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न का वितरण, वेतन के अंश के रूप में शामिल है। यद्यपि, इसकी नकद धनराशि और राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जायेगी फिर भी, केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए जाने खाद्यान्न की समस्त लागत वहन करेगी। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन दो स्तरों में किया जायेगा। दोनों स्तरों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कुल संसाधनों का 50% प्राप्त होगा। पहले स्तर को जिला और मध्यवर्ती पंचायत स्तरों पर कार्यान्वित किया जायेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध निधियों और खाद्यान्नों का 50% जिला परिषदों और मध्यवर्ती पंचायतों के बीच 40:60 के अनुपात में किया जायेगा। दूसरे स्तर का कार्यान्वयन कार्यक्रम ग्रामीण पंचायत स्तर पर किया जायेगा। इस स्तर के अंतर्गत सम्पूर्ण आवंटन का वितरण डी.आर.डी.ए./जिला परिषदों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के बीच किया जायेगा। कार्यक्रम का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। एसजीआरवाई का एक विशेष घटक है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा विधिवत रूप से अधिसूचना जारी किए जाने तथा कृषि मंत्रालय द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् आपदा-प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मज़दूरी रोजगार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। एसजीआरवाई के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए आबंटित खाद्यान्न का कुछ प्रतिशत भाग आरक्षित रखा गया है। प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त जिले,जिसे विधिवत् रूप से इस प्रकार अधिसूचित कर दिया गया हो,में मजदूरी रोजगार के सृजन के संबंध में केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी योजना के कार्यान्वयन के लिए इस विशेष घटक के अन्तर्गत खाद्यान्नों का उपयोग किया जा सकता है। मजदूरी के नकदी घटक तथा सामग्री लागत को इस योजना से पूरा किया जाएगा जिसके अन्तर्गत उप-घटक का प्रयोग किया जाएगा।

4. काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्न अब एसजीआरवाई के विशेष घटक में से प्रदान किए जाएंगे।

5. इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) का उद्देश्य प्राथमिक रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, मुक्त किये गये बंधुआ मजदूरों और गरीबी की रेखा से नीचे के ग्रामीण गैर-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए अनुदान सहायता देकर आवास यूनिटों का निर्माण करने और उनके मौजूदा कच्चे घरों के उन्नयन में सहायता के लिए था। वर्ष 1995-96 से आई.ए.वाई. के लाभों का विस्तार युद्ध में मारे गये रक्षा तथा पैरामिलिट्री कर्मचारियों के परिवारों के लिए भी कर दिया गया है भले ही, उनकी आय कुछ भी हो परन्तु वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों: (1) वे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हों (2) वे आवास, पुनर्वास की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत शामिल न हो और (3) वे बेघर हों या आवास उन्नयन के लिए उन्हें आवास की जरूरत हो। निधियों का 3% ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के विकलांग लोगों के लाभ के लिए आरक्षित किया गया है। मैदानी इलाकों में प्रत्येक आवास के लिए सहायता की अधिकतम सीमा 20 हजार रुपए और पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 22 हजार रुपये निर्धारित की गई है। वर्ष 1999-2000 से प्रति यूनिट 10 हजार रुपये की दर से खराब मकानों का उन्नयन भी शुरू किया गया। इस शीर्ष के अंतर्गत आई.ए.वाई. निधियों का 20 प्रतिशत आवंटन किया जाता है। निधियों की साझेदारी केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में की जाती है। 1.4.1999 से शुरू की गयी ऋण एवं सब्सिडी स्कीम अभी चल रही है और उसका उद्देश्य 32 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों के मकानों के निर्माण के लिए निधियां प्रदान करना है। इन ग्रामीण परिवारों को पहले आई.ए.वाई के अंतर्गत शामिल किया गया था परन्तु इस पहल से वह अपने मकान बनाने के हकदार हो गये हैं। पात्र परिवारों को 10 हजार रुपए तक की सब्सिडी और 40 हजार रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण की उपलब्धता सुधारने के लिए हुडकों की इक्विटी

सहायता भी दी जा रही है। सफाई एवं पेय जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र बेहतर आवास प्रदान करने के लिए से समग्र आवास योजना वर्ष 1999-2000 से प्रचालन में है। ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों, डिजाइनों आदि को बढ़ावा देने और उसका प्रचार-प्रसार करने के लिए 1.4.1999 से एक स्कीम अर्थात् ग्रामीण आवास एवं आवास स्थल विकास की नई स्कीम चल रही है। इसके अलावा, देश में ग्रामीण भवन केन्द्रों की स्थापना की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण और किफायती भवन सामग्री के उत्पादन के द्वारा प्रौद्योगिकी अन्तरण और कार्य-कौशल बढ़ाना है। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण आवास के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई है ताकि इस क्षेत्रक में निरंतर आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निवेशों को लाया जा सके और प्रौद्योगिकी, आवास, स्थल और ऊर्जा से संबंधित मुद्दों में परिवर्तन लाया जा सके जिसके द्वारा सामुदायिक अन्तर-मध्यस्थता के जरिये और विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए किफायती आवास प्रदान किये जायेंगे।

6. डी.आर.डी.ए. प्रशासन स्कीम का उद्देश्य डी.आर.डी.ए. को सुदृढ़ करना और उन्हें अधिक व्यावसायिक एवं प्रभावकारी बनाना है। इसे एक विशेषज्ञता वाली एजेंसी के रूप में बनाया गया है जो एक ओर मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रबंधन में सक्षम होगी और दूसरी ओर जिलों में गरीबी उन्मूलन के समग्र प्रयत्नों को इनके साथ प्रभावकारी रूप से संबद्ध कर सकेगी। प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए इस स्कीम का वित्त पोषण केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में किया गया है।

7. इस आवंटन में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और ग्रामीण विकास की राज्य संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण केन्द्रों के विस्तार, प्रशिक्षण पठ्यक्रमों और सेमिनारों का आयोजन, पंचायत विकास और प्रशिक्षण, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी प्रशिक्षण स्कीमों आदि के लिए सहायता देना शामिल है।

8. इसमें स्वैच्छिक कार्रवाई आईईसी क्रियाकलापों और मानीटरिंग प्रणाली के संवर्धन के माध्यम से लोक कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रवर्धन परिषद (सीएपीएआरटी) को सहायता पहुंचाने के लिए प्रावधान शामिल है।

9 और 10. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को दिसम्बर, 2000 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 500 से अधिक की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सभी असंयोजित आवास-स्थलों को दसवीं योजना अवधि के अंत तक सभी मौसमों में चालू अच्छी सड़कों के माध्यम से जोड़ना है। पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल) और रेगिस्तानी क्षेत्रों के संबंध में यह उद्देश्य 250 और इससे अधिक की आबादी वाले आवास-स्थलों को सड़कों से जोड़ना है। इसके अलावा कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यमान ग्रामीण सड़कों को उन्नत करना है। कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लि 60,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान में निधियों का उपलब्ध स्रोत हाई स्पीड डीजल पर उपकर का 50 प्रतिशत हिस्सा जो लगभग 2325.00 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बैठता है वह एक निश्चित समय सीमा (2000-07) के अंदर इतने भारी भरकम कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अतः अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को सृजित करना आवश्यक होगा। निधियों के लिए अतिरिक्त साधन खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं।

11. इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान किया गया है।